न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 176–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–09–2013 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, केसला, इटारसी, प्रकरण कमांक 13/अ–6/2008–09 ।

.....

1–मौजी आत्मज श्री चन्दू कोरकू

2–चिरोंजी आत्मज स्व0छेन्दू कोरकू

3–रामोतीबाई पत्नि स्व0छेन्दू कोरकू

तीनों निवासी ग्राम चॉदकिया, तहसील इटारसी,

जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

कंछेदी आत्मज शिवप्रसाद गौड़

निवासी चॉदकिया तहसील इटारसी,

जिला होशंगाबाद

..... अनावेदक

.....

श्री विश्वास सोनी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री एस0एस0पटेल, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(**आज दिनांक** 17/8/16 **को पारित**)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, केसला, इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–09–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार इटारसी के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत ग्राम चॉदकिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 43 रकबा 2.96 हेक्टेयर रुपये 1,90,000/– में क्रय की जाकर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–6/2008–09 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–9–2013 को विचारोपरांत अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 29–6–2016 की पेशी पर आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण का निराकरण आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पटटे की भूमि है और संहिता की धारा 165(7)(ख) के अन्तर्गत बिना कलेक्टर की अनुमति के पटटे की भूमि का विकय नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) पट्टे की भूमि पर नायब तहसीलदार को नामान्तरण करने का अधिकार नहीं है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की भूमि नहीं होकर भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि प्रकरण में साक्ष्य ली

जाकर गुणदोष पर निराकरण किया जाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आधारों व तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसे निरस्त करने में नायब तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि यदि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का स्वत्व है कि उसे तहसील न्यायालय के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिये । आवेदक द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है उसे साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के समय विचार योग्य है । इस स्टेज पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर प्रकरण निरस्ती की उसकी मॉग पर विचार किया जाना उचित नहीं है । प्रकरण में निगरानी न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार का यह कर्त्तव्य भी है कि वह प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर ही करें । उस समय आवदेक की आपत्ति पर भी विधिवत् साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जावे ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, केसला, इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–09–2013 उक्त आब्जर्वेशन (Observations) के साथ स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर